भारत सरकार

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2416

सोमवार, 8 जुलाई, 2019/17 आषाढ़ 1941 (शक)

राज्यों द्वारा प्रदत्त पारिश्रमिक में अंतर

2416. श्री भर्तृहरि महताब:
श्री राहुल रमेश शेवले:
श्रीमती क्वीन ओझा:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न प्रकार के अकुशल श्रम के एवज में राज्यों द्वारा भुगतान किए जा रहे पारिश्रमिक में अंतर है, और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का देश में सभी राज्यों के लिए केन्द्र द्वारा अधिसूचित न्यूनतम पारिश्रमिक को अनिवार्य करने का विचार है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार को इस संबंध में राज्य सरकारों से कोई फीडबैक प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है;

(घ) इस दिशा में सरकार द्वारा क्या अन्य सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं; और

(ङ) क्या सामान्य सेवा केन्द्र योजना का विस्तार उत्तर-पूर्व भारत में भी किया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क): न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 के उपबंधों के अंतर्गत, केन्द्रीय और राज्य दोनों सरकारें अपने-अपने संबंधित अधिकार क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले अनुसूचित रोजगार में नियोजित कामगारों की न्यूनतम मजदूरी नियत करने, समीक्षा करने तथा परिशोधित करने के लिए समुचित सरकारें हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में निर्धारित दरें केन्द्रीय सरकार के प्राधिकरण के अधीन प्रतिष्ठानों, रेल प्रशासन, खानों, तेल-क्षेत्रों, मुख्य पत्तन या केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित किसी निगम पर लागू हैं। केन्द्रीय क्षेत्र के लिए अनुसूचित रोजगार से इतर रोजगार राज्य सरकार के अधिकार-क्षेत्र में आता है तथा तदनुसार राज्य सरकार की मजदूरियां इन रोजगारों पर लागू होती हैं।

राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों के बीच विभिन्न प्रकार के श्रमिकों को पेशकश की गई मजदूरियों में परिवर्तन पर ध्यान देने; एक-समान मजदूरी संरचना लाने तथा समस्त देश में न्यूनतम मजदूरियों में विषमता में कमी लाने; के लिए 1991 में राष्ट्रीय ग्रामीण श्रम आयोग (एनसीआरएल) की सिफारिशों के आधार पर गैर-सांविधिक उपाय के रूप में राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी (एनएफएलएमडब्ल्यू) की संकल्पना पर विचार किया गया। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बढ़ोतरी के आधार पर, केन्द्रीय सरकार ने 01.06.2017 से राष्ट्रीय तल स्तरीय न्यूनतम मजदूरी 160/- रुपये प्रतिदिन से 176/- रुपये प्रतिदिन निर्धारित की है। राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों से अनुरोध है कि वे अनुसूचित रोजगारों में न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण और परिशोधन एनएफएलएमडब्ल्यू से कम पर न करें।

(ख) से (घ): त्रिपक्षीय परामर्शों में विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों पर विचार करते हुए, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948; मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936; बोनस संदाय अधिनियम, 1965; तथा समान पारिश्रमिक अधिनियम, 1976 के संगत प्रावधानों का मिलान करने, सरल करने और औचित्य स्थापित करने के बाद मजदूरी श्रम संहिता विधेयक, 2019 का प्रारूप तैयार किया गया है तथा अंतर-मंत्रालीय परामर्श हेतु परिचालित किया गया है। मजदूरी संहिता विधेयक, 2019 के उपबंध विधायी-पूर्व चरण में हैं।

(ङ): पूर्वगत सामान्य सेवा केन्द्र (सीएससी) स्कीम 31 मार्च, 2017 को बंद कर दी गई है। तथापि, इलैक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय सीएससी-2.0: डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम पंचायत स्तर पर अग्रगामी परियोजना का कार्यान्वयन कर रही है जिसका लक्ष्य समस्त देश में सभी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर कम-से-कम एक सीएससी स्थापित करना था।

सीएससी का मुख्य उद्देश्य सरकार से नागरिक (जी2सी), व्यवसाय से नागरिक (बी2सी) सेवाएं, वित्तीय समावेशन सेवाएं, शैक्षिक सेवाएं, कौशल विकास सेवाएं आदि जैसी विभिन्न नागरिक केन्द्रित सेवाएं प्रदान करना है।

सीएससी-2.0 यह परियोजना विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों की ई-सेवाओं तक गैर-विभेदकारी पहुंच को समर्थ बनाने के उद्देश्य के साथ, पूरी तरह से सेवा प्रदानगी/सौदाभिमुखी स्व-धारणीय उद्यमिता प्रतिमान पर आधारित है।

*****